

(भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

फा.सं. 20/2/2012-आईएफ-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

4th फरवरी, 2013

नई दिल्ली, दिनांक -----

माघ, 1934 (शक)

अधिसूचना

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री आर. सी. मिश्रा और श्री गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी को 80,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अथवा एएआईएफआर के समापन तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23748715

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।